समाहरणालय, दरभंगा
(जिला स्थापना शाखा)

–: आदेश :–

अंचल अधिकारी, सदर, दरभंगा के पत्रांक–767 दिनांक–08.09.2006 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री रामसुरेश झा, तत्कालीन लिपिक, अंचल कार्यालय, सदर, दरभंगा सम्प्रति प्रखंड कार्यालय, सदर, दरभंगा के विरूद्ध बिना सूचना के लगातार कार्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थिति तथा उक्त संबंध में की गई कारणपृच्छा का स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने के आरोप में दिनांक 21.11.2006 को प्रपत्र–"क" में आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही का संचालन प्रारंभ किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1754/स्था0 दिनांक–13.08.2013 के द्वारा श्री अरूण कुमार झा, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, सदर, दरभंगा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक–1057/भू0अ0 दिनांक 02.12..2013 के द्वारा श्री झा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही की जाँच पूर्ण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में आरोपी के विरूद्ध प्रपत्र–"क" में प्रतिवेदित आरोप सही पाते हुए लघु दण्ड अधिरोपित करने की अनुशंसा की गयी है।

अतएव श्री रामसुरेश झा, तत्कालीन लिपिक, अंचल कार्यालय, सदर, दरभंगा के विरूद्ध गठित प्रपत्र–'क' एवं प्रपत्र–'क' के आलोक में जाँचोपरांत संचालन पदाधिकारी–सह–प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक आरोपी श्री झा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली–2010 के नियम–14(IV) के अधीन निम्न शास्तियाँ अधिरोपित करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है :–

(1) **असंचयात्मक प्रभाव से 03 (तीन) वार्षिक वेतनवृद्धियों पर रोक ।**

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त शास्तियाँ/दण्ड की प्रविष्टि श्री झा के सेवापुस्त में अनिवार्य रूप से कर दी जाय एवं सेवापुस्त की छाया प्रति अवलोकनार्थ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

ह0/–
स मा ह र्त्ता,
दरभंगा।

ज्ञापांक– 02–17/06– 2609 /स्था0, लहेरियासराय, दिनांक 27 वीं दिसम्बर, 2013।

प्रतिलिपि :– श्री रामसुरेश झा, लिपिक, प्रखंड कार्यालय, सदर, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त दण्ड की प्रविष्टि श्री झा के सेवापुस्त में कर सेवापुस्त की छायाप्रति अवलोकनार्थ भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

स मा ह र्त्ता,
दरभंगा।